न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —53 / 2025 (अपील)

जीसीएमएस न0 2025 / 74

1. कालूलाल पुत्र रामनारायण जाति जाट
2. जानकी बाई पुत्री रामनारायण जाति जाट
   निवासीगण ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——अपीलाण्ट.

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र बच्चू सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम गणेशपुरा (प्रहलादपुरा) पोस्ट धाकडखेडी कैथून, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

——रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व इंतकाल संख्या 625दिनांक 24.09.2024 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा

उपस्थिति
1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक— 09.07.2025

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम प्रहलादपुरा में खाता संख्या 12 की खसरा नम्बर 309 रकबा 0.59 हे0 भूमि में खातेदार जानकी बाई का 1 / 3 हिस्से बद्रीलाल का 1 / 3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था जिसमें से भूमि का बेचान जरिये विकय पत्र के महेन्द्र सिंह रेस्पोडेन्ट नं0 1 को किया जाने पर विकय पत्र दिनांक 24.9.2024 की पालना में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा महेन्द्र सिंह के नाम 2 / 3 हिस्से का नामान्तरकरण संख्या 625 दिनांक 24.9.2024 स्वीकृत किया गया है ।
2. अपीलान्ट ने तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 625 दिनांक 24.09.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.06.2025 को प्रस्तुत की गई है कि ग्राम प्रहलादपुरा में अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के भाई बद्रीलाल के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की खसरा नम्बर 309 रकबा 0.59 हे0 भूमिस्थित है । जिसमें अपीलान्ट कम 1 व 2 एवं बद्रीलाल का प्रत्येक 1 / 3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था । अपीलान्ट कम 2 अपीलान्ट व बद्रीलाल की बहिन है । बद्रीलाल पुत्र रामनारायण हिस्सा 1 / 3 को व अपीलान्ट कम 2 को रूपयो की आवश्यकता होने से बद्रीलाल ने अपना सम्पूर्ण 1 / 3 हिस्सा व अपीलान्ट कम 2 जानकी बाई द्वारा अपना हिस्सा 1 / 3 में से आधा अर्थात 1 / 6 हिस्सा कुल बद्रीलाल व अपीलान्ट कम 2 का 1 / 2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट को पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 21.9.2024 को बेचान कर मौके पर कब्जा प्रदान कर दिया, उक्त विकय पत्र की पालना में रेस्पोडेन्ट कम 1 के नाम 1 / 2 के स्थान पर 2 / 3 हिस्सा दर्ज कर अपीलान्ट कम 2 का नाम हटा दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जाकर मुताबिक विकय पत्र दिनांक 24.9.24 के अनुसार इंतकाल तस्दीक करने हेतु तहसीलदार लाडपुरा को रिमाण्ड फरमाया जावें ।
3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पो0 01 स्वयं उपस्थित । पेरोकार सरकार उपस्थित । रेस्पोडेन्ट ने दिनांक23.06.2025 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम प्रहलादपुरा में अपीलान्ट अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के भाई बद्रीलाल के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की खसरा नम्बर 309 रकबा 0.59 हे0 भूमिस्थित है । जिसमें अपीलान्ट कम 1 व 2 एवं बद्रीलाल का प्रत्येक 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था । अपीलान्ट कम 2अपीलान्ट व बद्रीलाल की बहिन है । बद्रीलाल पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/3 को व अपीलान्ट कम 2 को रूपयो की आवश्यकता होने से बद्रीलाल ने अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा व अपीलान्ट कम 2 जानकी बाई द्वारा अपना हिस्सा 1/3 में से आधा अर्थात 1/6 हिस्सा कुल बद्रीलाल व अपीलान्ट कम 2 का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट को पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 21.9.2024 को बेचान कर मौके पर कब्जा प्रदान कर दिया, उक्त विकय पत्र की पालना में रेस्पोडेन्ट कम 1 के नाम 1/2 के स्थान पर 2/3 हिस्सा दर्ज कर अपीलान्ट कम 2 का नाम हटा दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट कम 2 जानकी बाई द्वारा अपना 1/3 हिस्सा में से 1/2 अर्थात 1/6 हिस्सा का ही रेस्पोडेन्ट कम 2 को बेचान किया है और उसी का विकय पत्र का पंजीयन करवाया है शेष अपीलान्ट कम 2 का 1/6 हिस्सा शेष रहता है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक था, जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा रेस्पोउेन्ट कम 2 को आवंटन प्रस्तुत किया व रिकार्ड में हिस्सा दुरूस्त करने का निवेदन किया किन्तु बाद जांच अपील करने की सलाह देने से अपील प्रस्तुत है । जो विकय पत्र का पंजीयन किया गया है के अनुसार इंतकाल तस्दीक नहीं करने व गलत इंतकाल तस्दीक करने के कारण अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन इंतकाल सपठित आदेश निरस्त कर विकय पत्र दिनांक 24.9.2024 के अनुसार इंतकाल तस्दीक करने हेतु तहसीलदार लाडपुरा को जांच हेतु रिमाण्ड फरमायी जावें ।

5. रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि अपीलांट व अपीलान्ट के भाई बद्रीलाल के संयुक्त खातेदारी की ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 309 रकबा 0.59 हे0 आराजी स्थित थी, जिसमें कालूलाल का 1/3, जानकी बाई का 1/3 हिस्सा, बद्रीलाल का 1/3 हिस्सा, राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और तीनों अपने अपने हिस्से पर काबिज है । जानकी बाई व बद्रीलाल को रूपयों की आवश्यकता होने से उनमें से जानकी बाई द्वारा 1/3 में से 1/6 हिस्सा व बद्रीलाल द्वारा अपना 1/3 हिस्सा का पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 24.9.2024 को रेस्पोडेन्ट को किया गया किन्तु विकय पत्र के विपरीत इंतकाल तस्दीक कर दिया गया जो गलत है । विकय पत्र के अनुसार कालूलाल का 1/3 हिस्सा, जानकी बाई का 1/6 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट महेन्द्र का 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था किन्तु सहवन से जानकी बाई का नाम हटाकर रेस्पोडेन्ट महेन्द्र का 2/3 हिस्सा दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अतः इंतकाल निरस्त फरमाया जाकर कालूलाल का 1/3 हिस्सा जानकी बाई का 1/6 हिस्सा व महेन्द्र सिंह का 1/2 हिस्से के इंतकाल का आदेश फरमाया जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा में खातेदार खसरा नम्बर 309 रकबा 0.59 हे0 आराजी स्थित थी, जिसमें कालूलाल का 1/3, जानकीबाई का 1/3 हिस्सा, बद्रीलाल का 1/3 हिस्सा, राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । जिसमें से जानकीबाई ने 1/3 का आधा यानि 1/6 हिस्सा व बद्रीलाल ने 1/3 सम्पूर्ण हिस्सा अर्थातरेस्पोडेन्ट महेन्द्र को कुल 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के बेचान कर दिया, जिसका स्पष्ट उल्लेख विकय पत्र में भी किया हुआ है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा मुताबिक विकय पत्र इंतकाल तस्दीक नहीं कर जानकी बाई व बद्रीलाल का सम्पूर्ण हिस्सा 2/3 रेस्पोडेन्ट महेन्द्र सिंह के नाम का इंतकाल दर्ज कर दिया जो वास्तव में त्रुटिपूर्ण है । इसमें रेस्पोडेन्ट महेन्द्र ने भी कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर मुताबिक विकय पत्र के ही इंतकाल तस्दीक करने का कथन किया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य है ।

7. परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा का इंतकाल नम्बर 625 दिनांक 24.9.2024 ग्राम प्रहलादपुरा का अपास्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विक्रय पत्र एवं रेकार्ड की की जांच की जाकर बाद जांच मुताबिक विक्रय पत्र के ही रेस्पोडेन्ट महेन्द्र सिंह के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत किया जावें ।

8. निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर कोटा

जिला कलक्टर
कोटा